दिनांक: *28.08.2024*

<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

सीबीएसई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से मादक पदार्थों के दुरुपयोग केविरुद्ध "ड्रग्स को ना और जीवन को हाँ कहें" अभियान का आयोजन किया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के साथ मिलकर *28.08.2024* को वसंत विहार, नई दिल्ली स्थित मॉडर्न स्कूल में "ड्रग्स को ना और जीवन को हाँ कहें" अभियान का सफल आयोजन किया। मॉडर्न स्कूल, वसंत विहार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और समुदाय को मादक पदार्थों के अपसेवन के गंभीर जोखिमों के बारे में जागरूक करना और एक स्वस्थ, नशामुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देना था।

इस कार्यक्रम में श्री हिमांशु गुप्ता, सचिव, सीबीएसई, श्री नीरज कुमार गुप्ता, उप महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), श्री एन. मृणाल, अपर निदेशक, एनसीबी, सुश्री विभा खोसला, प्रधानाचार्य, मॉडर्न स्कूल, वसंत विहार, नई दिल्ली, और अन्य वरिष्ठ गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। उन्होंने मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई के महत्व पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम ऑफलाइन आयोजित होने के साथ-साथ सीबीएसई के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसमें *7000* से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की व्यापक सहभागिता देखी गई। सहभागियों को मादक पदार्थों के अपसेवन के कारण, प्रभाव और रोकथाम की रणनीतियों पर जानकारी दी गई। एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया। इस पर भी चर्चा हुई कि युवाओं के लिए ऐसा समर्थनकारी माहौल कैसे बनाए जाए जहाँ वे सहपाठी के दबाव में न आते हुए स्वस्थ जीवन के लिए सही विकल्पों का चयन कर सकें।

वर्ष *1985* में अधिनियमित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम मादक पदार्थों के अपसेवन और अवैध तस्करी के विरुद्ध भारत का प्रमुख विधिक फ्रेमवर्क है। यह बड़े पैमाने पर ड्रग्स से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करता है। इसके अलावा , यह अधिनियम मादक पदार्थों पर आश्रित व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास को भी बढ़ावा देता है। विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो/नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) इस अधिनियम को लागू करता है। इसमें मादक पदार्थों की मात्रा के आधार पर जुर्माना/दंड वर्गीकृत किया गया है – अल्प मात्रा, मध्यम और वाणिज्यिक। विशेष प्रावधानों के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी संपत्ति जब्त करने की अनुमति भी है, जबकि पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए व्यक्तियों को निरुद्ध करने के कठोर प्रावधान भी शामिल हैं। इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के अनुसार अलग-अलग जुर्माना/दंड होते हैं।

सीबीएसई सभी सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में मादक पदार्थों के अपसेवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एनसीबी के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) करने की योजना भी बना रहा है।

यह अभियान सामूहिक रूप से युवाओं के लिए एक सुरक्षित, नशामुक्त वातावरण बनाने के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास है।

हस्ता/-

सचिव, सीबीएसई

कार्यक्रम की झलकियाँ

Sh Himanshu Gupta, Secretary, CBSE addressing the audience

Sh Neeraj Kumar Gupta, DDG, Narcotics Control Bureau sharing his insights against Drug Abuse

Sh N. Mrinal, Additional Director, NCB sharing his valuable viewpoints

Students listened to the distinguished speakers with rapt attention

Ms. Vibha Khosla, Principal, Modern School, Vasant Vihar, New Delhi inspiring the students